अरुण प्रताप JMC.

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति (आई.पी.आर.)

02.03.2022

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति (आई.पी.आर.)

1- सिंहावलोकन:-

विश्वविद्यालय, भारत में विशेष रूप से पब्लिक - फंडेड रिसर्च विश्वविद्यालयों को देश में नवाचार, रचनात्मकता और उद्यमिता को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभाना है। बौद्धिक संपदा अधिकार (बाद में 'आईपीआर' के रूप में संदर्भित) उन महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक हैं जो प्रायोजकों, संगठनों और नवप्रवर्तनकर्ताओं/शोधकर्ताओं/निर्माताओं को रचनात्मकता और नवाचार में उनके निवेश (पैसे के साथ-साथ समय दोनों के संदर्भ में) से लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। वे एक संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और व्यक्तियों तथा संगठनों को सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए रणनीतिक गठबंधन बनाने में भी मदद करते हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (बाद में 'आईपीआर नीति' के रूप में संदर्भित) के लिए इस बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की मदद से, विश्वविद्यालय का उद्देश्य एक संतुलित बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो विश्वविद्यालय के भीतर रचनात्मकता और नवाचारों को बढ़ावा दे सके। यह आईपीआर नीति विविध बौद्धिक संपदा से संबंधित मुद्दों जैसे कि बौद्धिक संपदा के स्वामित्व, लाभ साझाकरण, साझेदारी, नैतिक मुद्दों और संभावित हितों के टकराव से निपटने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी। इस आईपीआर नीति को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर तय किए गए उचित प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा और इसे आईपीआर सेल के रूप में नामित किया जाएगा।

2. परिभाषाएं:-

'बौद्धिक संपदा :- (बाद में 'आईपी' के रूप में संदर्भित) का व्यापक अर्थ में उपयोग किया जाता है। शब्द "बौद्धिक संपदा" का अर्थ ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद-1 में सूचीबद्ध विषय वस्तु से होगा जो बौद्धिक संपदा की सभी श्रेणियों को संदर्भित करता है जो ट्रिप्स समझौते के भाग II के खंड 1 से 7 के अधीन हैं और इसमें अन्य विषय शामिल हो सकते हैं जो संरक्षित हैं पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेत, आईसी लेआउट डिजाइन, नई पौधों की किस्मों और व्यापार रहस्यों से संबंधित कानूनों द्वारा।

इस आईपीआर नीति में प्रयुक्त शब्द 'शोधकर्ता/खोजकर्ता में संकाय सदस्य, छात्र, परियोजना कर्मचारी, अनुसंधान सहायक कर्मचारी, आने वाले शोधकर्ता और विश्वविद्यालय में या किसी अन्य संगठन में काम करने वाले अनुसंधान/नवाचार/निर्माण में शामिल कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के साथ सहयोग में शामिल है। यहाँ 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से है।

02-07.2022

शब्द "निर्माता" किसी भी विश्वविद्यालय के कर्मचारी को संदर्भित करता है, चाहे पूर्णकालिक या अंशकालिक, परिवीक्षा पर या अस्थायी आधार पर, विश्वविद्यालय में या परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो अनुसंधान कार्यकर्ता, शोध छात्र, छात्र, या प्रोजेक्ट फेलो हैं जो विश्वविद्यालय या किसी अन्य संगठन का उपयोग करते हुए बौद्धिक संपदा के निर्माण में शामिल हैं। विश्वविद्यालय के साथ सहयोग।

शब्द **'विश्वविद्यालय से आकस्मिक समर्थन'**, जैसा कि इस आईपीआर नीति में उपयोग किया गया है, में विश्वविद्यालय के स्थान, सुविधाओं, सामग्रियों या अन्य संसाधनों का उपयोग शामिल है जो विशिष्ट शोध आउटपुट के निर्माण के लिए विशेष रूप से प्रदान नहीं किए जाते हैं। आकस्मिक समर्थन के उदाहरणों में संकाय कार्यालयों, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों, विभागीय कार्यालय, इंटरनेट, कंप्यूटर, कंप्यूटर बाह्य उपकरणों का सामान्य उपयोग और सामान्य सचिवीय या प्रशासनिक सेवाओं का उपयोग शामिल है।

'गैर-आकस्मिक उपयोग': किसी शोध/नवाचार/सृजन के संबंध में विश्वविद्यालय के नाम का उपयोग, शोधकर्ता/नवप्रवर्तक/निर्माता की पहचान के अलावा विश्वविद्यालय के संसाधन का गैर-आकस्मिक उपयोग होगा।

'विश्वविद्यालय से पर्याप्त समर्थन' आईपीआर नीति के अनुसार आकस्मिक समर्थन को छोड़कर बाकी सभी तरह के समर्थन "पर्याप्त समर्थन" के अंतर्गत आते हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसमें अनुदान या फेलोशिप के माध्यम से अनुसंधान के लिए विशिष्ट मौद्रिक सहायता, विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के लिए पुस्तकों/उपकरण या सामग्री की खरीद के लिए धन, और अनुसंधान की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए प्रयोगशालाओं जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण या प्रमुख संशोधन शामिल हैं। उदाहरण के लिए, जब एक सामान्य उद्देश्य के लिए बनाई गई शोध प्रयोगशाला, (हालांकि, एक विशिष्ट अनुसंधान गतिविधि के लिए एक विशिष्ट समय अवधि तक ही निर्धारित की जाती है,) जो संबंधित आईपी अधिनियम के माध्यम से संरक्षित किए जा रहे आईपी का उत्पादन करती है, तो यह 'विश्वविद्यालय से पर्याप्त समर्थन' दायरे में आता है। ।

इस आईपीआर नीति में प्रयुक्त शब्द **'बाहरी भागीदार'** में भारत सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय स्व-सरकार, सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूएस), सभी प्रकार के निजी क्षेत्र के संगठन, और/या गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। अन्य संस्थान जो नियमित या अनियमित आधार पर शोधकर्ताओं को अनुसंधान परियोजनाएं या परामर्श कार्य प्रदान करते हैं, या उपरोक्त के किसी भी संयोजनो को प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.), किसी

02-03-2022

भी विश्वविद्यालय, या किसी अन्य निकाय जैसी फंडिंग एजेंसियों से छात्रों द्वारा प्राप्त पूर्ण फेलोशिप को बाहरी भागीदार से पर्याप्त समर्थन के रूप में माना जाएगा।

बाहरी साझेदारों के विदेशी सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बहुराष्ट्रीय निगम होने की स्थिति में, बाहरी भागीदार को भारत सरकार या इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी एजेंसी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में, आईपीआर साझा करने के नियम और शर्तों को विश्वविद्यालय और ऐसे बाहरी भागीदार के बीच समझौता ज्ञापन में शामिल किया जाएगा जैसा कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में उल्लेख किया गया है।

इस आईपीआर नीति में प्रयुक्त शब्द **'बाहरी भागीदारों से पर्याप्त समर्थन'** का अर्थ बाहरी भागीदारों द्वारा प्रदान किया गया कोई भी गैर-आकस्मिक समर्थन है। इसमें बाहरी भागीदारों द्वारा अनुदान या फेलोशिप के माध्यम से अनुसंधान के साथ-साथ तकनीकी/अन्य प्रासंगिक सहायता, यदि कोई हो, के लिए दी गई विशिष्ट मौद्रिक सहायता शामिल है।

इस आईपीआर नीति में प्रयुक्त **प्रथम पक्ष** शब्द का अर्थ विश्वविद्यालय है, जिसमें इस नीति में परिभाषित शोधकर्ता/नवप्रवर्तक/निर्माता शामिल हैं।

इस आई.पी.आर. नीति में प्रयुक्त शब्द **'द्वितीय पक्ष'** का अर्थ किसी भी सहयोगी/बाहरी भागीदार के रूप में है जिसे इस नीति में परिभाषित किया गया है।

इस आईपीआर नीति में प्रयुक्त शब्द **'तृतीय पक्ष'** का अर्थ किसी भी एजेंसी/उद्योग/संस्थान/व्यक्ति के अलावा पहली और दूसरी पार्टी के अलावा विश्वविद्यालय द्वारा उत्पन्न किसी भी आईपी से जुड़े अधिकार और जिसके लिए अधिकार विश्वविद्यालय के पास रहते हैं इस आईपीआर नीति में परिभाषित व्यावसायीकरण/विपणन या किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है।

इस आई.पी.आर. नीति में प्रयुक्त शब्द **'लाइसेंस'** का अर्थ है व्यावसायीकरण/विपणन के लिए सीमित अवधि के लिए अधिकारों के सीमित हस्तांतरण के लिए तीसरे पक्ष के साथ कोई समझौता या पहले पक्ष द्वारा उत्पन्न किसी भी आईपी से संबंधित समझौते में परिभाषित कोई अन्य उद्देश्य या दूसरे पक्ष के सहयोग से, यदि कोई हो।

इस आईपीआर नीति में प्रयुक्त शब्द **'स्वामित्व'** का अर्थ है प्रथम पक्ष द्वारा या द्वितीय पक्ष के सहयोग से प्रथम पक्ष द्वारा आईपीआर अधिकारों का कब्जा, यदि कोई हो।

इस आई.पी.आर. नीति में उपयोग किए गए **'असाइनमेंट'** शब्द का अर्थ है स्वामित्व को स्थानांतरित करने का अधिकार जैसा कि इस नीति में परिभाषित किया गया है, यदि पहले पक्ष द्वारा या दूसरे पक्ष के सहयोग से पहले पक्ष द्वारा, कोई भी।

III. उद्देश्य:-

02-03-2022

यह आई.पी.आर. नीति एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने का इरादा रखती है जो विश्वविद्यालय के भीतर विविध प्रकार के अनुसंधान और नवाचार के विकास के लिए अनुकूल हो। आईपी सुरक्षा के क्षेत्र में एक संतुलित दृष्टिकोण, जैसा कि इस आईपीआर नीति में अनुसरण किया गया है, ज्ञान और प्रौद्योगिकी संसाधनों तक समान पहुंच को सक्षम करके स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इस संबंध में, इस आईपीआर नीति के विशिष्ट उद्देश्य हैं:

क . आईपीआर संचालित आईपी प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक शोध/नवाचार/सृजन को बढ़ावा देना।

ख. एक उत्साहजनक पारिस्थितिकी तंत्र उत्पन्न करना ताकि आईपी निर्माण और प्रबंधन के लिए शोधकर्ता / नवप्रवर्तनक / निर्माता को पर्याप्त स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्रदान की जा सके।

ग. शिक्षा और उद्योग के बीच बेहतर सहयोग के माध्यम से अधिक सहयोग को बढ़ावा देना,आईपी स्वामित्व और आईपी लाइसेंसिंग पर स्पष्टता।

घ. सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए लक्षित पेटेंट, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण सहित आईपीआर परिणामों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना।

ड. ज्ञान के व्यापक प्रसार के माध्यम से सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से परिणामों तक बेहतर और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही, शोधकर्ता/नवप्रवर्तक/निर्माता की मान्यता सुनिश्चित करना।

च. सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से प्राप्त परिणामों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नवीन तरीके से ज्ञान, प्रौद्योगिकी और कौशल का बेहतर प्रसार।

छ. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तंत्र के लिए द्विपक्षीय और/या बहुपक्षीय समझौतों को बढ़ावा देना।

ज. अंतर-शैक्षणिक, अकादमिक-उद्योग, अंतर-विश्वविद्यालय/संगठन अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना।

IV: समर्थन का प्रकार, आईपी का स्वामित्व और आईपी अधिकारों का आवंटन

क. अनुसंधान/नवाचार/सृजन के लिए सहायता के प्रकार

आईपी स्वामित्व प्रदान करने और एक शोधकर्ता/नवप्रवर्तक/निर्माता को आईपी अधिकार आवंटित करने के लिए अनुसंधान/नवाचार/सृजन के प्रकारों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा रहा है।

1. विश्वविद्यालय के पर्याप्त समर्थन का उपयोग करते हुए, विश्वविद्यालय के साथ अपनी नियुक्ति / सगाई के सामान्य पाठ्यक्रम में एक शोधकर्ता / नवप्रवर्तनक / निर्माता द्वारा किए गए अनुसंधान / नवाचार / निर्माण। इसमें संकाय सदस्य (सदस्यों) की देखरेख में तैयार की गई शोध परियोजनाएं/शोध प्रबंध/थीसिस/नीति रिपोर्ट भी शामिल होगी।

2. एक शोधकर्ता/नवप्रवर्तक/निर्माता द्वारा विश्वविद्यालय से आकस्मिक सहायता का उपयोग करते हुए, विश्वविद्यालय के साथ उसकी नियुक्ति/जुड़ाव के सामान्य पाठ्यक्रम में किए गए अनुसंधान/नवाचार/सृजन;

02-03-2022

3. एक शोधकर्ता/नवप्रवर्तक/निर्माता द्वारा किए गए अनुसंधान/नवाचार/निर्माण के साथ किसी बाहरी साथी से पर्याप्त समर्थन।

ख. आईपी का स्वामित्व और आवंटन:

विश्वविद्यालय में उत्पन्न आईपी पर स्वामित्व अधिकार या बाहरी भागीदार के सहयोग से आईपी उत्पन्न करने वाले अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले वित्त पोषण और संसाधनों के स्रोत के साथ अलग-अलग होंगे। इन अधिकारों का विशेष रूप से आईपीआर नीति के अनुसार बाहरी भागीदारों के सहयोग से किए गए अनुसंधान / नवाचार / निर्माण के मामले में तय किए गए नियमों और शर्तों में उल्लेख किया जाएगा और समझौता ज्ञापन में उल्लेख किया जाएगा।

आईपीआर नीति इन तीन श्रेणियों के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों की सिफारिश करती है:

1. विश्वविद्यालय से 'पर्याप्त समर्थन' के साथ किए गए अनुसंधान/नवाचार/सृजन से उत्पन्न आईपी।

I. विश्वविद्यालय से पर्याप्त समर्थन के साथ उत्पादित विद्वानों और अकादमिक कार्यों में कॉपीराइट, जैसे किताबें, लेख, छात्र परियोजनाएं / शोध प्रबंध / थीसिस, व्याख्यान नोट्स, और व्याख्यान देने के लिए श्रव्य या दृश्य सहायता, आमतौर पर शोधकर्ता / नवप्रवर्तनकर्ताओं / रचनाकारों द्वारा रखी जाती है। दूसरी ओर, विश्वविद्यालय को अनुसंधान और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए आईपी का उपयोग करने के लिए एक गैर-विशिष्ट, रॉयल्टी-मुक्त, अपरिवर्तनीय और विश्वव्यापी लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। अनुसंधानकर्ता/नवोन्मेषक/सृजनकर्ता अपने शोध कार्य के किसी भी परिणाम का खुलासा उचित आई.पी. कार्यालय के साथ पेटेंट और अन्य आईपी द्वारा संरक्षित होने की क्षमता वाले कार्य के संबंध में आईपी आवेदन दाखिल करने से पहले नहीं करेंगे जहां नवीनता पूर्वापेक्षा है।

ii., विश्वविद्यालय के पर्याप्त समर्थन से शोधकर्ताओं द्वारा बनाई गई फिल्मों, नाटकों और संगीत कार्यों में कॉपीराइट विश्वविद्यालय के पास होगा। हालांकि, इन आउटपुट के व्यावसायीकरण की स्थिति में, राजस्व को आईपीआर सेल द्वारा निर्धारित अनुपात में शोधकर्ता के साथ साझा किया जाएगा।

iii. विश्वविद्यालय से पर्याप्त समर्थन के साथ निर्मित किसी भी व्याख्यान वीडियो या बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) में कॉपीराइट विश्वविद्यालय के पास होगा। हालांकि, शोधकर्ता के पास अनुसंधानकर्ता द्वारा शिक्षण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए ऐसे कार्यों का उपयोग करने के लिए एक गैर-अनन्य, रॉयल्टी-मुक्त, अपरिवर्तनीय और विश्वव्यापी लाइसेंस होगा।

iv. किसी भी संस्थागत सामग्री में कॉपीराइट, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रश्न, परीक्षा निर्देश, और विश्वविद्यालय द्वारा विशेष रूप से कमीशन किए गए कागजात / रिपोर्ट तक सीमित नहीं है, विश्वविद्यालय के पास निहित होगा।

02.03.2022

v. विश्वविद्यालय से पर्याप्त समर्थन के साथ उत्पन्न आईपी के किसी भी अन्य रूप पर स्वामित्व अधिकार, सॉफ्टवेयर, पेटेंट योग्य और गैर-पेटेंट योग्य आविष्कार, जानकारी, डिजाइन, पौधों की किस्मों और एकीकृत सर्किट सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। विश्वविद्यालय। हालांकि, ऐसे आईपी के व्यावसायीकरण की स्थिति में, विश्वविद्यालय इस आईपीआर नीति के खंड V में सुझाए गए लाभ साझा करने में संलग्न हो सकता है।

2. विश्वविद्यालय से 'आकस्मिक सहायता' के साथ किए गए अनुसंधान/नवाचार/निर्माण से उत्पन्न आईपी।

I. नीचे दिए गए अपवादों के अधीन, विश्वविद्यालय से केवल आकस्मिक समर्थन के साथ शोधकर्ता द्वारा उत्पन्न विद्वानों, शैक्षणिक और कलात्मक कार्यों में कॉपीराइट सहित किताबें, लेख, व्याख्यान नोट्स, मुक्त विज्ञान - खुला नवाचार व्याख्यान, फिल्म, नाटक और संगीत कार्य देने के लिए ऑडियो या दृश्य एड्स शोधकर्ता के पास होंगे। शोधकर्ता अपने शोध कार्य के किसी भी परिणाम का खुलासा नहीं करेगा, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, पेटेंट और अन्य आईपी द्वारा संरक्षित होने की क्षमता वाले कार्य के संबंध में उपयुक्त आईपी कार्यालय के साथ आईपी आवेदन दाखिल करने से पहले जहां नवीनता पूर्वापेक्षा है .

ii. पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रश्न, परीक्षा निर्देश, और विश्वविद्यालय द्वारा विशेष रूप से कमीशन किए गए कागजात / रिपोर्ट सहित किसी भी संस्थागत सामग्री में कॉपीराइट विश्वविद्यालय के पास होगा।

iii. सॉफ्टवेयर, पेटेंट योग्य और गैर-पेटेंट योग्य आविष्कारों, जानकारी, डिजाइन, पौधों की किस्मों और एकीकृत सर्किट सहित विश्वविद्यालय से आकस्मिक समर्थन से उत्पन्न आईपी के किसी भी अन्य रूप पर स्वामित्व अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा।

3. बाहरी भागीदारों से पर्याप्त समर्थन के साथ किए गए अनुसंधान/नवाचार/निर्माण से उत्पन्न आईपी।

I. बाहरी भागीदारों के पर्याप्त समर्थन से किए गए शोध के संबंध में, आईपी के स्वामित्व का निर्धारण संबंधित पक्षों के बीच हस्ताक्षरित समझौते में नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा। विश्वविद्यालय और बाहरी भागीदार के बीच समझौते में एक विशिष्ट खंड की अनुपस्थिति में, जो पुस्तकों, लेखों, छात्र परियोजनाओं / शोध प्रबंधों सहित बाहरी एजेंसी से पर्याप्त समर्थन के साथ उत्पन्न विद्वानों और शैक्षणिक कार्यों में कॉपीराइट के संबंध में पर्याप्त समर्थन प्रदान कर रहा है। थीसिस, व्याख्यान नोट्स, और व्याख्यान देने के लिए ऑडियो या विजुअल एड्स, स्वामित्व अधिकार और/या कॉपीराइट आमतौर पर शोधकर्ता/नवप्रवर्तकों/निर्माताओं के पास निहित होंगे। हालांकि, अनुसंधान/नवाचार/सृजन के माध्यम से उत्पन्न आईपीआर के मामले में बाहरी एजेंसी से पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने के मामले में, शोधकर्ता/नवप्रवर्तक/निर्माता अपने शोध कार्य के किसी भी परिणाम का खुलासा नहीं करेंगे, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, आईपी आवेदन दाखिल करने से पहले। पेटेंट और अन्य आईपी द्वारा संरक्षित होने की क्षमता वाले कार्य के संबंध में उपयुक्त आईपी कार्यालय जहां नवीनता पूर्वापेक्षा है। समझौते के अनुसार विश्वविद्यालय/बाहरी एजेंसी (जैसा भी मामला हो) से अनुमति मिलने के बाद ही ऐसे पेटेंट की फाइलिंग की जानी चाहिए।

ii. विश्वविद्यालय और बाहरी भागीदार के बीच एक विशिष्ट समझौते की अनुपस्थिति में, जो अनुसंधान, फिल्मों, नाटकों और संगीत कार्यों में कॉपीराइट के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहा है, जो शोधकर्ताओं /

02.03.2022

नवप्रवर्तनकर्ताओं / रचनाकारों द्वारा बाहरी साथी से पर्याप्त समर्थन के साथ बनाया गया है, विश्वविद्यालय और बाहरी भागीदार अपने सापेक्ष योगदान, यानी विश्वविद्यालय और बाहरी भागीदार के अनुपात में लाभों को साझा करने के लिए कॉपीराइट के संयुक्त स्वामित्व के मुद्दे को हल करेंगे। हालांकि, इन अनुसंधान/नवाचार/सृजन आउटपुट के व्यावसायीकरण की स्थिति में, राजस्व को आईपीआर नीति के अनुसार शोधकर्ता/नवाचारकर्ता/निर्माता/बाहरी भागीदार (जैसा भी मामला हो) साझा किया जाएगा। उसके साथ

iii. विश्वविद्यालय और बाहरी भागीदार के बीच एक विशिष्ट समझौते की अनुपस्थिति में, जो अनुसंधान / नवाचार / निर्माण के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहा है, किसी भी व्याख्यान वीडियो में कॉपीराइट या बाहरी भागीदार, विश्वविद्यालय और बाहरी भागीदार अपने सापेक्ष योगदान के अनुपात में, अर्थात विश्वविद्यालय और बाहरी भागीदार द्वारा लाभों को साझा करने के लिए कॉपीराइट के संयुक्त स्वामित्व के मुद्दे को हल करेगा। विश्वविद्यालय और बाहरी भागीदार के बीच एक विशिष्ट समझौते के अभाव में, जो अनुसंधान के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहा है, कॉपीराइट के अलावा आईपी का कोई भी रूप, यानी पेटेंट योग्य और गैर-पेटेंट योग्य आविष्कार, जानकारी, डिजाइन, पौधों की किस्में, एकीकृत सर्किट आदि। विश्वविद्यालय में निहित होगा।

iv. विश्वविद्यालय बाहरी भागीदार के साथ विशिष्ट समझौते के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय के विशिष्ट निर्देशों के तहत तैयार किए गए पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, और कागजात / रिपोर्ट सहित किसी भी संस्थागत सामग्री के संबंध में कॉपीराइट विश्वविद्यालय के पास होगा।

V. व्यावसायीकरण और लाभ साझा करना

क. आईपी लाइसेंसिंग और असाइनमेंट के प्रकार

किसी तीसरे पक्ष को आई.पी.आर का लाइसेंस और असाइनमेंट आईपी हस्तांतरण के सबसे सामान्य तरीके हैं जो आईपी के व्यावसायीकरण की ओर ले जा सकते हैं। जबकि लाइसेंसिंग और असाइनमेंट दोनों में किसी अन्य पार्टी को कुछ अधिकार देना शामिल है, मुख्य अंतर यह है कि असाइनमेंट में स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल है, जबकि लाइसेंसिंग कुछ उपयोगों की अनुमति तक सीमित है।

जहां तक संभव हो, प्रथम पक्ष केवल लाइसेंसिंग मोड का उपयोग करने का प्रयास करेगा, ताकि व्यावसायीकरण की संभावनाओं को बाधित किए बिना आईपी पर स्वामित्व अधिकार बनाए रखा जा सके। यदि किसी पेटेंट लाइसेंस में दूसरा पक्ष शामिल है, तो केवल लाइसेंसिंग मोड के माध्यम से पेटेंट का उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह या तो पूर्व समझौते के माध्यम से या आपसी समझ से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। असाधारण परिस्थितियों में उपयोग किए जाने वाले असाइनमेंट का तरीका कुलपति द्वारा आईपीआर सेल की सिफारिश पर और दूसरे पक्ष के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, यदि कोई हो, के अनुसार तय किया जाएगा।

विभिन्न प्रकार के परिभाषित लाइसेंस निम्नलिखित होंगे:

02.03.2022

1. **विशेष लाइसेंसिंग**: पहला पक्ष केवल एक लाइसेंसधारी को आईपी लाइसेंस देता है। दूसरे शब्दों में,लाइसेंसधारी केवल एक ही होगा, जो पहले पक्ष द्वारा विचाराधीन आईपी का उपयोग और शोषण करने के लिए अधिकृत होगा और ऐसा प्राधिकरण केवल तभी लागू होगा जब कोई दूसरा पक्ष शामिल न हो या दूसरा पक्ष समझौता ज्ञापन के अनुसार पहले के साथ लाइसेंस अधिकार रखने के लिए सहमत हो। दल। विश्वविद्यालय (प्रथम पक्ष) कॉपीराइट के अलावा अन्य आईपी के अनन्य लाइसेंस देने से बचना चाहिए। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, आईपीआर सेल की सिफारिश पर कुलपति द्वारा लाइसेंस देने का निर्णय लिया जा सकता है।

2. अविशेष या सामान्य लाइसेंसिंग: प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष के सहयोग से प्रथम पक्ष, यदि कोई हो, को इस नीति के दायरे में आईपी के उपयोग के लिए एक से अधिक तृतीय पक्ष के साथ अनुबंध करने का पूर्ण अधिकार होगा। दूसरे शब्दों में, एक ही आईपी का उपयोग पहले पक्ष के विभिन्न लाइसेंसधारियों द्वारा एक ही समय में एक ही उद्देश्य के लिए या विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

3. उप-लाइसेंसिंग: यह तब लागू होता है जब लाइसेंसधारक अन्य तृतीय पक्ष को आईपी को आगे लाइसेंस देने की अनुमति प्रदान करना चाहता है। उप-लाइसेंसिंग से संबंधित अनुमतियों को पहले पक्ष और तीसरे पक्ष के बीच या पहले पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच, यदि कोई हो, तीसरे पक्ष के साथ संयुक्त रूप से समझौते में स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

ख. उद्यमिता और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करना :

अनुसंधानकर्ता/नवप्रवर्तक/निर्माता को उद्यमशीलता, फर्म/स्टार्ट-अप शुरू करने के उद्देश्य से किसी भी प्रथम पक्ष के स्वामित्व वाले आईपी पर तीन साल के लिए किसी भी अग्रिम शुल्क और रॉयल्टी से छूट दी जा सकती है, जहां उन्हें शोधकर्ता/नवप्रवर्तक/निर्माता के रूप में नामित किया गया है। यदि एक से अधिक हैं शोधकर्ता/नवप्रवर्तक/निर्माता, वे सभी सामूहिक रूप से इस लाभ का लाभ उठा सकते हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से या उप-समूहों में इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा रहे आईपी में शामिल बाकी व्यक्तियों की सहमति के बिना।

ग. लाइसेंसिंग समझौते और राजस्व की साझेदारी

1. विश्वविद्यालय के 'आकस्मिक समर्थन' से उत्पन्न आई.पी.

विश्वविद्यालय और शोधकर्ता/नवाचारकर्ता/निर्माता के बीच आकस्मिक समर्थन का उपयोग करके उत्पन्न किसी भी आईपी पर राजस्व बंटवारा क्रमशः 80:20 के अनुपात में होगा। यह विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाले आईपी पर लागू होगा जो विश्वविद्यालय के आकस्मिक समर्थन से बनाया गया है।

2. विश्वविद्यालय के पर्याप्त समर्थन से उत्पन्न आईपी

02.03.2022

I. विश्वविद्यालय से पर्याप्त समर्थन का उपयोग करके उत्पन्न आईपी के मामले में, विश्वविद्यालय और शोधकर्ता / नवप्रवर्तनक / निर्माता के पास राजस्व बंटवारे का अनुपात क्रमशः 60:40 होगा। प्रारंभिक व्यावसायीकरण सुनिश्चित करने और शोधकर्ता को इस उद्देश्य के लिए सक्रिय पहल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, राजस्व का बंटवारा विश्वविद्यालय और शोधकर्ता / नवप्रवर्तनक / निर्माता के बीच क्रमशः 40:60 के अनुपात में होगा, तारीख से पहले पांच वर्षों के लिए। किसी विशेष आईपी आवेदन के लिए लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में।

ii. शोधकर्ता/नवप्रवर्तक/निर्माता के हिस्से का भुगतान जारी रखा जा सकता है, भले ही व्यक्ति विश्वविद्यालय में काम करना जारी रखे या नहीं।

iii. यदि आईपी के निर्माण में एक से अधिक शोधकर्ता/नवप्रवर्तक/निर्माता शामिल हैं, तो सभी शोधकर्ता जो उस आईपी में लाभ साझा करने के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, आवेदन दाखिल करने की अनुमति प्राप्त करते समय किसी भी आईपी के प्रस्तावित वितरण को रेखांकित करते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। - उनके योगदान के आधार पर संबंधित कमाई। समझौते में प्रत्येक शोधकर्ता/नवप्रवर्तनकर्ता/निर्माता को आईपी से आय के वितरण का आनुपातिक प्रतिशत निर्दिष्ट होना चाहिए। शोधकर्ता/नवप्रवर्तक/निर्माता किसी भी समय, आपसी सहमति से, आईपी आय समझौते के वितरण को संशोधित कर सकते हैं, और विश्वविद्यालय संशोधित समझौते को मंजूरी दे सकता है।

iv. विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित आईपी से संबंधित राजस्व के संबंध में, राजस्व का एक हिस्सा व्यावसायीकरण और आईपीआर से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अनुशंसा की जाती है कि विश्वविद्यालय द्वारा 10% हिस्सा खर्च किया जा सकता है, 40% को उपलब्ध कराया जा सकता है

संबंधित विभाग जहां आईपी उत्पन्न होता है, और शेष 50% का उपयोग आईपी को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

3. बाहरी सहयोगियों के उचित समर्थन से प्राप्त अनुसंधान आउटपुट

I. विश्वविद्यालय और बाहरी भागीदारों के बीच साझेदारी से उत्पन्न किसी भी आईपी पर राजस्व बंटवारा इस तरह के सहयोग की शुरुआत में विश्वविद्यालय और बाहरी भागीदार के बीच हस्ताक्षरित समझौते पर आधारित हो सकता है। राजस्व बंटवारे पर किसी भी पूर्व समझौते के अभाव में, विश्वविद्यालय और बाहरी भागीदार आईपी के निर्माण और सुरक्षा में आनुपातिक योगदान, आईपी के स्वामित्व और खंड V के अनुसार अधिकारों के आवंटन के अनुरूप राजस्व-साझाकरण मुद्दे को हल करेंगे।

द. दायित्व की सीमा

सभी व्यावसायीकरण समझौतों में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि विश्वविद्यालय और उसके शोधकर्ता / नवप्रवर्तनक / निर्माता आईपी के विकास और व्यावसायीकरण से उत्पन्न होने वाली सभी देयताओं से सुरक्षित और क्षतिपूर्ति करते हैं।

VI. आईपी सुरक्षा के संबंध में लागत का बंटवारा

आईपी सुरक्षा की लागतों के संबंध में, निम्नलिखित सिफारिश की जाती है:

02-03-2022

यदि विश्वविद्यालय अपने नाम पर (निर्माता या टीम के सहयोग से विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के माध्यम से) पेटेंट कराना चाहता है तो विश्वविद्यालय पेशेवर पेटेंट संरक्षण प्राप्त करने से जुड़ी लागतों के लिए निर्माता (ओं) की प्रतिपूर्ति करेगा। यदि विश्वविद्यालय आईपी का एकमात्र मालिक है, तो आईपी सुरक्षा की लागत विश्वविद्यालय द्वारा वहन की जाएगी।

I. यदि विश्वविद्यालय किसी आईपी की सुरक्षा में खर्च करने से इनकार करता है, तो आविष्कारक को विश्वविद्यालय के नाम पर या शोधकर्ता और विश्वविद्यालय के संयुक्त नाम पर अपने स्वयं के खर्च पर आईपी आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी।

ii. यदि आईपी स्वामित्व बाहरी भागीदारों के साथ साझा किया जाता है, तो अनुबंध में प्रदान किए गए नियमों और शर्तों के आधार पर आईपी सुरक्षा की लागत दोनों पक्षों द्वारा साझा की जा सकती है। इस तरह की पूर्व व्यवस्था के अभाव में, अधिकारों और लाभों के आवंटन के अनुपात में लागत को साझा किया जाएगा।

अ. पेटेंट नवीनीकरण की स्थिति में, विश्वविद्यालय उन सभी मामलों में पेटेंट शुल्क के पहले सात वर्षों को कवर करेगा जहां विश्वविद्यालय (शोधकर्ता/नवप्रवर्तक/निर्माता के सहयोग से विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार) पेटेंट प्राप्त करता है। यदि पेटेंट एक प्रायोजक एजेंसी के साथ सह-दायर किया जाता है, तो पेटेंट की लागत को समान रूप से विभाजित किया जा सकता है। यदि पेटेंट का व्यावसायिक रूप से पहले सात वर्षों के भीतर शोषण किया जाता है, तो विश्वविद्यालय पेटेंट के शेष जीवन के लिए पेटेंट शुल्क के लिए जिम्मेदार है। यदि पेटेंट का पहले सात वर्षों के भीतर व्यावसायिक रूप से शोषण नहीं किया जाता है, तो विश्वविद्यालय और निर्माता बाद के नवीनीकरण शुल्क 50/50 को विभाजित करने के लिए सहमत होते हैं। यदि निर्माता इस तरह के नवीनीकरण में कोई दिलचस्पी नहीं व्यक्त करता है, तो विश्वविद्यालय पेटेंट की पूरी अवधि के लिए शुल्क का भुगतान करके पेटेंट जारी रख सकता है या पेटेंट आवेदन को अपने विवेक पर वापस ले सकता है।

ब. विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाले आईपी के अधिकारों/स्वामित्व के हस्तांतरण में शामिल कोई भी लागत विशेष रूप से लाइसेंसधारी, समनुदेशिती या ऐसे अधिकार प्राप्त करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहन की जाएगी।

VIII. विश्वविद्यालय ट्रेडमार्क का उपयोग

विश्वविद्यालय निम्नलिखित शर्तों पर अपने नाम और ट्रेडमार्क (इसमें विश्वविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का लोगो और विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत कोई अन्य ट्रेडमार्क शामिल है) के उपयोग की अनुमति दे सकता है:

अ -. उनका उपयोग केवल जनहित में किया जाएगा;

ब. उनका उपयोग किया जाएगा:

02.03.2022

1. एक उत्पाद/प्रक्रिया को एक जिम्मेदार तरीके से विकसित करने के लिए भारत सरकार की पर्यावरण सुरक्षा और अच्छी विनिर्माण प्रथाओं का पालन करना चाहिए;

2. सटीक दावों और सूचनाओं को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात जनता या उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के उद्देश्य से नहीं;

3. ट्रेडमार्क के दुरुपयोग या ट्रेडमार्क के उपयोग से होने वाली आकस्मिक क्षति की स्थिति में विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी दायित्व के बिना।

VIII. विश्वविद्यालय द्वारा आईपी अधिकारों को साझा करना

किसी भी संबद्ध समझौते के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित शर्तों के अधीन, विश्वविद्यालय किसी भी शोधकर्ता को शोधकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय को पर्याप्त प्रकटीकरण के नौ महीने की अवधि के भीतर शोधकर्ता द्वारा प्रस्तावित सभी आईपी में संयुक्त आवेदक होने की अनुमति दे सकता है। विश्वविद्यालय, शोधकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय को पर्याप्त प्रकटीकरण के छह महीने की अवधि के भीतर आईपी के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने या न करने के निर्णय को शोधकर्ता तक पहुंचाने के लिए सभी प्रयास करेगा। यदि विश्वविद्यालय प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लेता है, तो शोधकर्ता आईपी की पीढ़ी को जारी रख सकता है और उसे आईपी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत आधार पर आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी। तथापि, विश्वविद्यालय अपने स्वयं के खर्च पर शोधकर्ताओं द्वारा आईपी के दाखिल करने, अभियोजन और रखरखाव की प्रक्रिया में आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को निष्पादित करने में शोधकर्ता के साथ सहयोग करेगा।

'पर्याप्त प्रकटीकरण' का अर्थ है आविष्कार को अंजाम देने के लिए आवश्यक विशेषताओं का विस्तृत विवरण प्रदान करना, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कला में कुशल व्यक्ति को आविष्कार को कैसे व्यवहार में लाया जाए।

IX. आईपी अधिकारों की कुछ गतिविधियों के संबंध में सीमा

क. विश्वविद्यालय द्वारा सृजित भंडारों में सामग्री जमा करने के संबंध में अधिकारों का आरक्षण।

विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय या सरकार या किसी अन्य नियामक संस्था द्वारा बनाए गए किसी भी डिजिटल भंडार के माध्यम से सभी स्नातक / स्नातकोत्तर / अनुसंधान संबंधी कार्यों (परियोजनाओं / शोध प्रबंध / थीसिस सहित, लेकिन इन तक सीमित नहीं) की सॉफ्ट कॉपी जमा करने और साझा करने का अधिकार बरकरार रखेगा। , "शोधगंगा ई-रिपोजिटरी", एनडीएल, आदि सहित। ऐसे मामलों में जहां आविष्कार पेटेंट योग्य प्रकृति का है, शोधकर्ता के साथ-साथ विश्वविद्यालय इस तरह के शोध कार्य जैसे निबंध, थीसिस आदि को रिपॉजिटरी में जमा करने से पहले पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

X.अन्य संबंधित मुद्दे

02.03.2022

क. हितों का टकराव अनुसंधानकर्ताओं को प्रौद्योगिकियों के संभावित लाइसेंस के संबंध में हितों के टकराव या हितों के संभावित टकराव का खुलासा करना आवश्यक है। यदि शोधकर्ता (ओं) और/या उनके तत्काल।
लाइसेंसधारी कंपनी या संभावित लाइसेंसधारी कंपनी में परिवार के सदस्यों की हिस्सेदारी है, वे विश्वविद्यालय को लिखित में विवरण का खुलासा करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, लाइसेंसधारी कंपनी या संभावित लाइसेंसधारी कंपनी में केवल शोधकर्ता (ओं) और/या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा हिस्सेदारी का स्वामित्व लाइसेंस की अस्वीकृति का आधार नहीं होगा। प्रासंगिक कारकों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर विश्वविद्यालय लाइसेंस पर अंतिम निर्णय ले सकता है।

ख. जैविक संसाधन और संबद्ध ज्ञान के हस्तांतरण से संबंधित नीति जैविक संसाधनों का कोई भी हस्तांतरण के प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन में होगा | भारत सरकार का जैव विविधता अधिनियम 2002 और/या अन्य लागू प्रासंगिक दिशानिर्देश, समय-समय पर संशोधन सहित अनुदान के लिए दायर आवेदन पर कार्रवाई करते समय पेटेंट, शोधकर्ता एक साथ राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति के लिए उनके अनुरोध को संसाधित करेंगे ।

XI. प्रयोज्यता

यह आईपीआर नीति विश्वविद्यालय के सभी हितधारकों या विश्वविद्यालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में किसी भी गतिविधि और उन बाहरी भागीदारों, तीसरे पक्षों पर लागू होगी, जो किसी समझौते के तहत या आपसी सहमति से आईपी के निर्माण में शामिल हैं।

VII. विवाद समाधान

अ. मध्यस्थता

किसी भी आईपी से संबंधित मामलों पर विवाद या आईपीआर नीति के प्रावधानों की व्याख्या की स्थिति में, मामले को विश्वविद्यालय के कानूनी प्रकोष्ठ को भेजा जाएगा और यह एक निश्चित समय सीमा के भीतर और प्राथमिकता के साथ मामले की पूरी तरह से जांच करेगा। . जहां भी समझौता वांछनीय है, कानूनी प्रकोष्ठ मध्यस्थता के माध्यम से मामले को निपटाने के लिए सभी प्रयास करेगा। यदि विवाद का विवाद मध्यस्थता के माध्यम से नहीं सुलझाया जाता है, तो प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय के कुलपति को उचित उपचार की सिफारिश करेगा।

ब. न्यायाधिकार के क्षेत्र

02.03.2022

8

किसी भी आईपी-संबंधित समझौते के नियमों और शर्तों से उत्पन्न होने वाले दर्ज किये गए किसी भी विवाद का निसारण विश्वविद्यालय के अधिनियम में वर्णित क्षेत्रीय न्यायाधिकार के अधीन होगा।

VIII.समीक्षा खंड

विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा आईपी ढांचे में किसी भी बदलाव के आधार पर, अधिमानतः हर तीन साल (विश्वविद्यालय द्वारा गोद लेने की तारीख से) या इससे पहले नीति की समीक्षा कर सकता है।

अनुबंध 1

आईपी रक्षा के लिए संगठनात्मक उपाय

अ. आईपीआर सेल: प्रशासनिक सेट-अप

आईपीआर सेल में परिभाषित भूमिकाओं वाले व्यक्तियों की एक टीम होगी। आईपीआर का संविधान सेल इस प्रकार हो सकता है:

1.	अध्यक्ष (कुलाधिपति द्वारा मनोनीत उपाध्यक्ष /महानिदेशक/महानिदेशक/प्राचार्य)
2.	समन्वयक सदस्य
3.	बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान से प्रत्येक में कम से कम एक संकाय सदस्य
4.	सदस्य के रूप में दो आईपी विशेषज्ञ प्रबंधन संकाय से एक आईपी विशेषज्ञ और कानून संकाय से एक आईपी विशेषज्ञ। प्रबंधन और कानून संकायों से विशेषज्ञ संकाय सदस्यों की अनुपलब्धता के मामले में, प्रासंगिक आईपी विशेषज्ञता वाले बाहरी सदस्यों को आईपी विशेषज्ञों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
5.	विश्वविद्यालय वित्त अधिकारी
6.	दो शोधविद्वान (अधिमानतः इंजीनियरिंग और विज्ञान धारा से)

आईपीआर प्रकोष्ठ के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया तीन वर्ष का होगा और गतिविधियों के बाद से आईपी के क्षेत्र की मांग विशेषज्ञता के आधार पर सदस्यों के कार्यकाल का नवीनीकरण किया जा सकता है

आईपीआर प्रकोष्ठ में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनकी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने से पहले कुलपति। आईपीआर सेल के पास इस आईपीआर नीति से संबंधित सभी निर्णायक मुद्दों और विश्वविद्यालय के भीतर उत्पन्न आईपी से संबंधित किसी भी अन्य प्रासंगिक मामलों पर विश्वविद्यालय प्रशासन का मार्गदर्शन करने की समग्र जिम्मेदारी होगी

02-03-2022

ब.. आईपीआर सेल की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

1. आईपीआर सेल विश्वविद्यालय में आईपी प्रबंधन से संबंधित सभी सिफारिशों और निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।

2. आईपीआर सेल सभी गोपनीयता संबंधी दायित्वों को बनाए रखेगा। अध्यक्ष सहित सभी सदस्य विश्वविद्यालय के साथ एक गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

3: आईपीआर सेल विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी होगा|

समझौता ज्ञापन (एमओयू), गोपनीय प्रकटीकरण समझौते (सीडीए), सामग्री हस्तांतरण समझौते (एम.टी.ए), और आईपी लाइसेंसिंग समझौते जैसे समझौतों में प्रवेश करना।

4. आईपीआर प्रकोष्ठ आईपीआर नीति या नई नीतियों में परिवर्तन का सुझाव दे सकता है जब कभी आवश्यक समझा जाए। यह सरकारी नीतियों या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास जैसे नई संधियों या कानूनी निर्णयों में परिवर्तन के साथ हो सकता है।

5. पेटेंट आवेदनों के सभी अनुरोधों की स्क्रीनिंग आईपीआर सेल द्वारा की जाएगी।

6. आईपीआर सेल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और लाभ-साझाकरण समझौतों पर बातचीत के लिए विश्वविद्यालय और शोधकर्ताओं का समर्थन करेगा।

7. ऐसे मामलों में जहां एक शोधकर्ता स्टार्ट-अप बनाने के लिए विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाले आईपी का उपयोग करना चाहता है, शोधकर्ता आईपीआर सेल के समक्ष अनुरोध कर सकता है, और सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद, आईपीआर सेल विश्वविद्यालय को अनुमति देने की सिफारिश कर सकता है। शोधकर्ता आईपी का उपयोग करने के लिए। आईपीआर प्रकोष्ठ अपनी सिफारिशें भी प्रस्तुत कर सकता है कि शोधकर्ता उस स्टार्टअप की गतिविधियों के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाले ट्रेडमार्क का किस हद तक उपयोग कर सकता है।

8. जब भी आवश्यक हो, आईपीआर सेल शोधकर्ताओं और विश्वविद्यालय को स्पष्ट करेगा कि क्या प्रश्न में अनुसंधान को विश्वविद्यालय के आकस्मिक समर्थन के साथ अनुसंधान के रूप में माना जा सकता है, विश्वविद्यालय के पर्याप्त समर्थन के साथ अनुसंधान, और / या बाहरी भागीदारों के पर्याप्त समर्थन के साथ अनुसंधान। . .

02.03.2022

9. आईपीआर सेल ओपन एक्सेस, ओपन डेटा और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसी विभिन्न खुली पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा और विश्वविद्यालय और शोधकर्ताओं को सरकार / फंडिंग एजेंसियों / विश्वविद्यालय के ओपन एक्सेस जनादेश का पालन करने में मदद करेगा।

10.आईपीआर सेल विश्वविद्यालय से सभी आईपी आवेदनों का उचित रिकॉर्ड रखेगा।

11. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ("आरटीआई अधिनियम") के तहत आवेदनों का जवाब देते समय, आईपीआर सेल यह सुनिश्चित कर सकता है कि नवाचारों की नवीनता (पेटेंट संरक्षण के उद्देश्य से) पराजित नहीं होगा। इस संबंध में आरटीआई अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों से परामर्श किया जा सकता है।

12. विश्वविद्यालय के किसी शोधकर्ता या किसी तीसरे पक्ष द्वारा आईपीआर के उल्लंघन के आरोपों के मामले में, विश्वविद्यालय मामले को प्रकोष्ठ को संदर्भित कर सकता है और उचित कार्रवाई पर उसकी राय ले सकता है।

13. ऐसे मामलों में जहां कोई तीसरा पक्ष विश्वविद्यालय के आईपीआर का उल्लंघन करता है, विश्वविद्यालय उचित कार्रवाई पर आईपीआर सेल की राय ले सकता है और आईपीआर सेल किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए कुलपति को सिफारिश कर सकता है।

14.आई.पी.आर. प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय आई.पी. की आवधिक लेखापरीक्षा कर सकता है।

स. आईपीआर प्रकोष्ठों के माध्यम से आईपी संरक्षण: कार्यान्वयन प्रक्रिया

1. एक बार आईपीआर सेल को एक शोधकर्ता से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के बाद, आईपीआर सेल आईपी सुरक्षा की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आईपी सुरक्षा के सभी रूपों के मामलों में, आईपीआर सेल जितनी जल्दी हो सके आवेदनों को स्क्रीन कर सकता है और आवश्यक आईपी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है। पेटेंट आवेदनों के मामले में, आईपीआर सेल विषय विशेषज्ञों के साथ-साथ कानूनी विशेषज्ञों से इनपुट मांग सकता है जहां यह बिल्कुल जरूरी है, और ऐसे मामलों में जहां आविष्कारकों और आई.पी.आर. सेल द्वारा संयुक्त रूप से आवेदनों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, ऐसे इनपुट निम्नलिखित के बाद प्राप्त किए जाने चाहिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय के भीतर या बाहर से विश्वविद्यालय और विशेषज्ञ के बीच एक उपयुक्त गैर प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) का निष्पादन।

2. जहां आवश्यक हो, आई.पी.आर. प्रकोष्ठ अधिक जानकारी और समर्थन के लिए आवेदन को सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित कर सकता है।

3. यदि आईपीआर सेल किसी नवोन्मेष के लिए पेटेंट संरक्षण की सिफारिश करता है, तो आईपीआर सेल पेटेंट फाइल करने की अनुमति के लिए विवरण सक्षम प्राधिकारी को भेज सकता है।

02.03.2022

4. अत्यावश्यकता के मामलों में, आईपीआर प्रकोष्ठ वैकल्पिक माध्यमों अर्थात निजी पेटेंट एजेंट/वकीलों के माध्यम से भी पेटेंट आवेदन दाखिल कर सकता है। इस संबंध में सभी खर्चों को आईपीआर सेल बजट या संबंधित अनुसंधान परियोजना के बजट से पूरा किया जा सकता है, जो धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

5. वित्त पोषण एजेंसी के साथ विश्वविद्यालय के संयुक्त पेटेंट आवेदनों के मामलों में, की लागत

फाइलिंग को संयुक्त आवेदकों के बीच साझा किया जाएगा और आईपीआर सेल पार्टियों के बीच समझौते के अनुसार आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान कर सकता है। हालांकि, अगर फंडिंग बॉडी यूनिवर्सिटी आईपीआर सेल के माध्यम से पेटेंट आवेदन दाखिल नहीं करना चाहती है, तो फंडिंग बॉडी को संयुक्त पेटेंट आवेदन और अभियोजन के लिए पूरे खर्च को वहन करना होगा।

6. आईपीआर प्रकोष्ठ हमेशा यह सुनिश्चित करेगा कि आईपी सुरक्षा उपायों का सुझाव यह विश्वविद्यालय/सरकार की खुली पहुंच/खुली डेटा नीतियों के विरोध में नहीं है और यह शोधकर्ताओं को ऐसी नीतियों का पालन करने में मदद करने के लिए उचित उपाय करेगा।

7., आईपीआर सेल जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से ओपन एक्सेस, ओपन डेटा और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसी विभिन्न खुली पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उचित उपाय करेगा।

8. आईपी के रखरखाव के संबंध में निर्णय आईपीआर सेल द्वारा विकसित दिशा-निर्देशों पर आधारित होगा और यह आईपी की आवश्यकता और क्षमता पर आधारित होगा।

9. विदेश में आईपी सुरक्षा का मूल्यांकन कुलपति या उनके नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में एक उच्च-शक्ति समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में रजिस्ट्रार, वित्त अनुभाग के प्रमुख, आईपीआर सेल के अध्यक्ष, आईपीआर सेल के दो सदस्य और दो बाहरी विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं।

द. आई.पी.आर सेल: आईपीआर सेल के निर्णयों के संबंध में अपील प्रक्रिया

आईपीआर सेल द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में, लेकिन आईपी के स्वामित्व, प्रस्तावों के प्रसंस्करण, और आईपीआर नीति के कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, कोई भी पीड़ित व्यक्ति वाइस को अपील प्रस्तुत कर सकता है। विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और उनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

02.03.2022